

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 जुलाई 2022—श्रावण 7, शक 1944

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जून 2022

क्र. ई-1-117-2022-5 -एक.—श्री शैलेन्द्र सिंह, भाप्रसे (1988), कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को कृषि उत्पादन आयुक्त के अधीनस्थ विभाग क्रमशः किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सहकारिता, पशुपालन एवं डेयरी, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित विषयों के संबंध में भारत सरकार से आवश्यक समन्वय करने हेतु अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कार्यालय, आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली भी घोषित किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 29 जून 2022

क्र. ई-1-34-2021-5 -एक.—भारत सरकार पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालयीन आदेश क्रमांक A-12022-2-2021-PE-1, दिनांक 18 फरवरी 2022 के अनुक्रम में, श्री विकास नरवाल, भाप्रसे (2008) प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) की सेवाएं Deputy Chairperson, Cochin Port Trust के पद पर पांच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं।

भोपाल, दिनांक 30 जून 2022

क्र. ई-1-34-2021-5 -एक.—इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-34-2021-5 -एक, दिनांक 29 जून 2022 द्वारा श्री विकास नरवाल, भाप्रसे (2008), प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) की सेवाएं Deputy Chairperson, Cochin Port Trust के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी गई हैं।

(2) उपरोक्तानुसार श्री विकास नरवाल के कार्यमुक्त होने पर श्रीमती जी.व्ही. रश्मि, भाप्रसे (2005), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार तथा श्री तरुण राठी, भाप्रसे (2010), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-125-2022-5 -एक.—श्रीमती करलिन खोंगवार देशमुख (1996), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग तथा वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है।

(2) श्री प्रतीक हजेला, भाप्रसे (1995), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(3) डॉ. ई. रमेश कुमार, भाप्रसे (1999) आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2022

क्र. ई-1-129-2022-5 -एक.—श्रीमती नेहा मारव्या सिंह, भाप्रसे (2011), अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रोजगार गारंटी परिषद,

भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2022

क्र. ई-1-83-2022-5 -एक.—इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-83-2022-5-एक, दिनांक 13 जुलाई 2022 द्वारा श्रीमती छवि भारद्वाज, भाप्रसे (2008) प्रबंध संचालक, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल एवं अपर सचिव, मुख्य मंत्री कार्यालय एवं श्री नन्द कुमारम, भाप्रसे (2008) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, भोपाल तथा कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन (अतिरिक्त प्रभार) की सेवाएं Deputy Director (Senior), Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA), Mussoorie के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी गई हैं।

(2) उपरोक्तानुसार श्रीमती छवि भारद्वाज, भाप्रसे (2008) के कार्यमुक्त होने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे (1998) वि.क.अ.-सह-आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से तथा श्री नन्द कुमारम भाप्रसे (2008) के कार्यमुक्त होने पर श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे (2010) प्रबंध संचालक, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान), मध्यप्रदेश, भोपाल एवं उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, भोपाल तथा कार्यपालक, संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-83-2022-5 -एक.—भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (कार्यालय संस्थापन अधिकारी), नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 6-24-2022-EO (MM-I), दिनांक 27 जून 2022 के अनुक्रम में, श्रीमती छवि भारद्वाज, भाप्रसे (2008) प्रबंध संचालक, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अपर सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय की सेवाएं Deputy Director (Senior), Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA), Mussoorie के पद पर पांच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं।

क्र. ई-1-83-2022-5 -एक.—भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (कार्यालय संस्थापन अधिकारी), नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 6-24-2022-EO (MM-I), दिनांक 27 जून 2022 के अनुक्रम में, श्री नन्दकुमारम, भाप्रसे (2008) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम, भोपाल तथा कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन (अतिरिक्त प्रभार) की सेवाएं Deputy Director (Senior), Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA), Mussoorie के पद पर पांच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
इकबाल सिंह बैस, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2022

क्र. एफ 5-11-2022-एक(1).—माननीय न्यायाधिपति, श्री रोहित आर्य, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक बी/3174/(दो-1-2/2016) दिनांक 23 जून 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 20 से 31 मई 2022 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपयोग करने के कारण भारत सरकार, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011/4/2008-Estt(ए), दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

अवकाश नगदीकरण का यह तृतीय अवसर है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रंजना पाटने, उपसचिव।

## संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2022

क्र. एफ-11-15-2012-तीस (पार्ट).—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्र. 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नांकित स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था:—

स. क्र.	स्मारक का नाम	अधिसूचना क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)
1	मोती महल, नगर निगम कार्यालय, सदर मंजिल के सामाने, भोपाल.	क्र. एफ-11-15-2012-तीस, दिनांक 27 मई 2013.

राज्य शासन की यह राय है कि उक्त वर्णित अधिसूचना द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किये गये स्मारक/क्षेत्र को अब और अधिक समय संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है।

मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित स्मारक/क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है. अतः उक्त वर्णित स्मारक मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग को सौंपा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुनील दुबे, उपसचिव।

**वन विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2022**

क्र. एफ-15-44-2005-दस-2.—राज्य शासन, एतद्वारा यथा-संशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 4 (1)(bb) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए निम्नलिखित जिला मानसेवी वन्यजीव अभिरक्षक के रूप में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से दो वर्ष के लिये नियुक्त करता है:—

क्र. (1)	मानसेवी वन्यजीव अभिरक्षक का नाम व पता (2)	जिला (3)
1	श्री कैलाशपति तिवारी, निवासी-सर्वोदय चौक, सीधी	सीधी
2	श्री श्यामल राव, निवासी-वार्ड नम्बर 7, श्री कृष्णपुरम, पी. जी. कॉलेज रोड, छिन्दवाड़ा.	छिन्दवाड़ा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**पद्माप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.**

**नगरीय विकास एवं आवास विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2022**

क्र. एफ-3-33-2021-अठारह-5.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17क(1) के अन्तर्गत जबलपुर विकास योजना, हेतु मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-3-33-2021-अठारह-5, भोपाल दिनांक 16 फरवरी 2021 को निरस्त करते हुए, जबलपुर विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17-क(2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी:—

अधिनियम की धारा 17क(1) की उपधारा (1)	पदनाम (2)	संस्था/पता (3)	समिति में पद (4)
(क)	महापौर	नगरपालिक निगम, जबलपुर	सदस्य
	अध्यक्ष	नगरपालिक निगम, पनागर	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, जबलपुर	सदस्य
(ग)	संसद सदस्य	लोक सभा क्षेत्र, जबलपुर	सदस्य
(घ)	1 विधायक	विधान सभा क्षेत्र, पाटन	सदस्य
	2 विधायक	विधान सभा क्षेत्र, बरगी	सदस्य
	3 विधायक	विधान सभा क्षेत्र, जबलपुर पूर्व	सदस्य
	4 विधायक	विधान सभा क्षेत्र, जबलपुर उत्तर	सदस्य
	5 विधायक	विधान सभा क्षेत्र, जबलपुर केन्टोनमेंट	सदस्य
	6 विधायक	विधान सभा क्षेत्र, जबलपुर पश्चिम	सदस्य
	7 विधायक	विधान सभा क्षेत्र, पनागर	सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
(ड)	अध्यक्ष	जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर	सदस्य
(च)	1 अध्यक्ष	जनपद पंचायत, जबलपुर	सदस्य
	2 अध्यक्ष	जनपद पंचायत, पनागर	सदस्य
	3 अध्यक्ष	जनपद पंचायत, शहपुरा	सदस्य
	4 अध्यक्ष	जनपद पंचायत, पाटन	सदस्य
(छ)	1 सरपंच	ग्राम पंचायत, पिपरिया मेडिकल	सदस्य
	2 सरपंच	ग्राम पंचायत, पडुवा	सदस्य
	3 सरपंच	ग्राम पंचायत, खजरी	सदस्य
	4 सरपंच	ग्राम पंचायत, कंद्राखेडा	सदस्य
	5 सरपंच	ग्राम पंचायत, केवलारी	सदस्य
	6 सरपंच	ग्राम पंचायत, सलैया	सदस्य
	7 सरपंच	ग्राम पंचायत, खिरियाकला	सदस्य
	8 सरपंच	ग्राम पंचायत, आमाहिनीता	सदस्य
	9 सरपंच	ग्राम पंचायत, लामी	सदस्य
	10 सरपंच	ग्राम पंचायत, आरछा	सदस्य
	11 सरपंच	ग्राम पंचायत, लुहारी	सदस्य
	12 सरपंच	ग्राम पंचायत, बेनीखेडा	सदस्य
	13 सरपंच	ग्राम पंचायत, बिनैकी	सदस्य
	14 सरपंच	ग्राम पंचायत, सूखा	सदस्य
	15 सरपंच	ग्राम पंचायत, मंगेला	सदस्य
	16 सरपंच	ग्राम पंचायत, खम्हरिया	सदस्य
	17 सरपंच	ग्राम पंचायत, सूरतलाई	सदस्य
	18 सरपंच	ग्राम पंचायत, खिरियाकला	सदस्य
	19 सरपंच	ग्राम पंचायत, गुडगंवा	सदस्य
	20 सरपंच	ग्राम पंचायत, धरहर	सदस्य
	21 सरपंच	ग्राम पंचायत, सरसंवा	सदस्य
	22 सरपंच	ग्राम पंचायत, बम्हनौदा	सदस्य
	23 सरपंच	ग्राम पंचायत, उमरिया चौबे	सदस्य
	24 सरपंच	ग्राम पंचायत, किवलारी	सदस्य
	25 सरपंच	ग्राम पंचायत, ककरतला	सदस्य
	26 सरपंच	ग्राम पंचायत, पिपरियाकला	सदस्य
	27 सरपंच	ग्राम पंचायत, सिलुवा	सदस्य
	28 सरपंच	ग्राम पंचायत, देवरी	सदस्य
	29 सरपंच	ग्राम पंचायत, बारहा	सदस्य
	30 सरपंच	ग्राम पंचायत, पिंडरई	सदस्य
	31 सरपंच	ग्राम पंचायत, हिनौतिया	सदस्य
	32 सरपंच	ग्राम पंचायत, खम्हरिया	सदस्य
	33 सरपंच	ग्राम पंचायत, बरोदा	सदस्य
	34 सरपंच	ग्राम पंचायत, घाना	सदस्य
	35 सरपंच	ग्राम पंचायत, सालीबाडा	सदस्य
(ज)	1 प्रतिनिधि	आयुक्त, जबलपुर संभाग	सदस्य
	2 प्रतिनिधि	कलेक्टर, जिला जबलपुर	सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
3	प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जबलपुर	सदस्य
4	प्रतिनिधि	वन संरक्षक, जबलपुर	सदस्य
5	प्रतिनिधि	इंस्टिट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया	सदस्य
6	प्रतिनिधि	इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया	सदस्य
7	प्रतिनिधि	काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर	सदस्य
(इ)	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर (म. प्र.).	संयोजक

### सूचना

क्र. एफ-3-39-2022-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1, सन् 2012), की धारा 23“क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 1478-टी सी-68-दमोह-उपां-नग्रानि-2021, भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित दमोह विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:—

### अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	नजूलशीट ब्लॉक क्रमांक	प्लॉट क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग (6)	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	दमोह	61, 62, 56	179	1.25 में से 0.41	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (जेल खाना) वर्तमान वाणिज्यिक एवं मार्ग.	वाणिज्यिक एवं मार्ग
2	दमोह	61, 62, 56	179	1.25 में से 0.10	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (जेल खाना) वर्तमान वाणिज्यिक एवं मार्ग.	आवासीय एवं मार्ग
3	दमोह	61, 62, 56	178	1.42 में से 1.42	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (जेल खाना) एवं मार्ग.	वाणिज्यिक एवं मार्ग
4	दमोह	62	171/1क	5.52 में से 1.52	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (जेल खाना) एवं मार्ग.	वाणिज्यिक एवं मार्ग
5	दमोह	62	171/1क	5.52 में से 3.42	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (जेल खाना) एवं मार्ग.	आवासीय एवं मार्ग

**योग . . 6.87 हेक्टेयर**

उपरोक्त उपांतरण दमोह विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

**राज्य शासन के आदेश**  
**वन विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2022**

क्र. एफ-25-26-2022-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड मड़खेरा जागीर (इ) अक्षांश वनखण्ड N-23°38'8.32" से N-23°38'48.51" उत्तर अक्षांश तथा पूर्व देशांश E-78°46'19.50" से E-78°47'34.68" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

**अनुसूची**

**जिला—सागर, तहसील—जैसीनगर, वनमण्डल—दक्षिण सागर ( सामान्य ), वन परिक्षेत्र—ढाना**

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मड़खेरा जागीर (इ)	मड़खेरा जागीर	शासकीय वनभूमि	1332/2 627/2 1328 1330 1360/2	39.90 3.70 16.700 13.03 18.27	उत्तर—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड सीमा चिन्ह क्रमांक 92 से 109 तक, कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड सीमा चिन्ह क्रमांक 109 से 134 तक, कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड सीमा चिन्ह क्रमांक 134 से 154 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड सीमा चिन्ह क्रमांक 154 से 92 तक की कृत्रिम वन सीमा.

कुल योग . . 91.60

**(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—**

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015-FC, दिनांक 27 जुलाई 2016 (प्रथम स्वीकृति) एवं 8-13-2015 FC, दिनांक 11 जुलाई 2018 (अन्तिम स्वीकृति) एवं पत्र क्रमांक 8-13-2015 FC, दिनांक 6 दिसम्बर 2019 द्वारा जारी संशोधित स्वीकृति में अधिरोपित शर्त के अनुसार परियोजना प्रबंधक, बीना पी. एम. यू., जल संसाधन विभाग, सागर (मध्यप्रदेश) की स्वीकृति बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद् परियोजना में प्रभावित रकबा 618.50 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में दक्षिण सागर वनमण्डल के अन्तर्गत प्राप्त गैर वनभूमि कुल रकबा 257.26 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 91.60 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय, कलेक्टर, जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 0058 अ-19(3) वर्ष 2020-21 पृष्ठांकन क्रमांक-664-री. क्ले-2021, दिनांक 21 जनवरी 2021 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण.

- अन्य कारणों का विवरण-नहीं.

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार जैसीनगर द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- व्यक्तिगत अधिकार.—उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
- सामुदायिक अधिकार.—उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2022

क्र. एफ-25-26-2022-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ-25-26-2022-दस-3, दिनांक 20 जुलाई 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 20th July 2022

No. F-25-26-2022-X-3.— In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas, specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by that State Government from time to time. Proposed Protected Forest Block Madkhera Jagir E lies between N 23°38'8.32" to N 23°38'48.51" North Latitude and E 78°46'19.50" to E 78°47'34.68" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sagar, Tehsil—Jaisinagar, Forest Division—South Sagar (territorial), Forest Range—Dhana

S. No.	Details of land included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Madkhera Jagir E	Madkhera Jagir	Govt. Forest Land	1335/2 627/2 1328 1330 1360/2	39.90 3.70 16.70 1303 18.27	<p><b>North</b>—Proposed Protected Forest Block landmark No. 92 to 109 Artificial Forest Boundary.</p> <p><b>East</b>—Proposed Protected Forest Block landmark No. 109 to 134 Artificial Forest Boundary.</p> <p><b>South</b>—Proposed Protected Forest Block landmark No. 134 to 154 Artificial Forest Boundary.</p> <p><b>West</b>—Proposed Protected Forest Block landmark No. 154 to 92 Artificial Forest Boundary.</p>
<b>Total</b>					<b>91.60</b>	

(A) Reason for Publication of Notification: —

- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. 8-13/2015-F-C dated 27-07-2016 (first sanction) and 8-13/208/FC Bhopal dated 11-07-2018 (final sanction) and revised order No. 8-13/2015-FC dated 06-12-2019, in lieu of 618.50 hectare affected forest land under the sanctioned project of Beena Integrated Irrigation and Expansion Project of Project Manager Bina PMU, Water Resource Division, Sagar (M. P.) the above mentioned Non Forest Land of 91.60 hectare out of total received non-forest land of 257.26 hectare is transferred or mutated in favour of M. P. Govt., Forest Department by Collector, Sagar order No. 0058A/19/3 Year 2020-2021 Copy No./664/2021, Dated 21-01-2021 for the purpose of compensatory afforestation.
- Details of other Reasons- Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded right on the above land as per certified report of Tashildar Jaisinagar are as under.

- (A) **Individuals Rights** — There are no individuals Rights on the said land.  
(B) **Communities Rights** — There are no Communities Rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.  
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2022

क्र. एफ-49-1-रास-यू.ए.-5-2016-975.—इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक 1472-रास-यू.ए.-5-2019, दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुक्रम में, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कुलाधिपतिजी ने धारा 27(2)(तीन) के तहत श्री प्रकाश प्रभाकर शास्त्री, सेवानिवृत्त डीन, कृषि महाविद्यालय, खंडवा को विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड में सदस्य नामांकित किया है।

कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आदेशानुसार,  
धरणेन्द्र कुमार जैन, राज्यपाल के उपसचिव.

### राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 8 अप्रैल 2022

क्र.-27अ-82-18-19-भू-अर्जन-22-2623.—बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा उल्दन, पटवारी हल्का नंबर-17, तहसील बण्डा, जिला सागर की डूब क्षेत्र में निर्माण हेतु प्रभावित भूमि के अर्जन हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-27अ-82-18-19 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19(1) के तहत सार्वजनिक सूचना दिनांक 30 जनवरी 2021 को जारी की गई थी जिसका राजपत्र दिनांक 9 अप्रैल 2021 में प्रकाशन किया गया है परंतु उक्त सूचना दिनांक से बारह मास की अवधि में कोविड-19 संक्रमण के कारण प्रकरण में प्राप्त धारा 21 के दावे/आपत्तियों का निराकरण न होने से अवाई पारित नहीं किया जा सका है। अतः प्रकरण में अधिनियम, 2013 की धारा 25 के तहत धारा 19(1) की सूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

सागर, दिनांक 12 जुलाई 2022

क्र.-81अ-82-20-21-भू-अर्जन-22-5223.—बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा बहरोल, पटवारी हल्का नंबर-12, तहसील बण्डा, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु प्रभावित भूमि के अर्जन हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-81अ-82-20-21 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 15 फरवरी 2021 को जारी की गई थी जिसका राजपत्र दिनांक 12 मार्च 2021 में प्रकाशन किया गया है परंतु उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि में कोविड-19 संक्रमण तथा प्रभावित भूमि का राजस्व अभिलेख अद्यतन न होने के कारण प्रकरण में धारा 19(1) के तहत घोषणा एवं सार का प्रकाशन नहीं किया जा सका है अतः प्रकरण में अधिनियम, 2013 की धारा 19(7) के तहत धारा 11 (1) की प्रारंभिक अधिसूचना सूचना की छः मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

सागर, दिनांक 18 जुलाई 2022

क्र.-87अ-82-20-21-भू-अर्जन-22-5323.—बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा पिडरूवा, पटवारी हल्का नंबर-07, तहसील बण्डा, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण में प्रभावित भूमि अर्जन किये जाने भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-87अ-82-20-21 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 3 मार्च 2021 को जारी की गई थी जिसका राजपत्र दिनांक 26 मार्च 2021 में प्रकाशन किया गया है। उक्त प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि में राजस्व अभिलेख अद्यतन की कार्यवाही होने तथा कोविड-19 के कारण व्यवधान आने से धारा 19(1) के तहत घोषणा नहीं की जा सकी है अतः प्रकरण में अधिनियम, 2013 की धारा 19(7) के तहत धारा 11(1) की प्रारंभिक सूचना की तीन माह की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्र.-88अ-82-20-21-भू-अर्जन-22-5340.—बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा पिपरिया इल्लाई, पटवारी हल्का नंबर-11, तहसील बण्डा, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण में प्रभावित भूमि के अर्जन हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-88अ-82-20-21 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 3 मार्च 2021 को जारी की गई थी जिसका राजपत्र दिनांक 26 मार्च 2021 में प्रकाशन किया गया है। परंतु उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि में कोविड-19 संक्रमण तथा प्रभावित भूमि का राजस्व अभिलेख अद्यतन न होने के कारण प्रकरण में धारा 19(1) के तहत घोषणा एवं सार का प्रकाशन नहीं किया जा सका है अतः प्रकरण में अधिनियम, 2013 की धारा 19(7) के तहत धारा 11(1) की प्रारंभिक अधिसूचना सूचना की छः माह की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्र.-80अ-82-20-21-भू-अर्जन-22-5343.—बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा किरोला, पटवारी हल्का नंबर-10, तहसील बण्डा, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु प्रभावित भूमि के अर्जन हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-80अ-82-20-21 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 15 फरवरी 2021 को जारी की गई थी जिसका राजपत्र दिनांक 12 मार्च 2021 में प्रकाशन किया गया है। परंतु उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि में कोविड-19 संक्रमण तथा प्रभावित भूमि का राजस्व अभिलेख अद्यतन न होने के कारण प्रकरण में धारा 19(1) के तहत घोषणा एवं सार का प्रकाशन नहीं किया जा सका है अतः प्रकरण में अधिनियम, 2013 की धारा 19(7) के तहत धारा 11(1) की प्रारंभिक अधिसूचना सूचना की छः मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 01 जुलाई 2022

प्रारूप—“ख”

[नियम—5 का उपनियम (2)]

क्र.- भू-अर्जन-2022-1140-राजस्व प्रकरण क्रमांक 03-अ-82-2022-23.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैन में अमृत परियोजना के अंतर्गत-ट्रेकमेन त्रिवेणी घाट से लेकर भूखीमाता मंदिर तक नदी के बायीं तरफ तथा भूखीमाता मंदिर से लेकर मंगलनाथ मंदिर तक बायीं तरफ हेतु परियोजना हेतु कस्बा उज्जैन, जिला उज्जैन (म. प्र.), अधीक्षण यंत्री (अमृत), नगरपालिक निगम द्वारा भूमिगत पाइप-लाइन एवं डक्ट बिछाई जाए।

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं उक्त बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाइप-लाइन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप-लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में समक्ष प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला-उज्जैन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

### अनुसूची

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	663/1	0.274
2	उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	661/1, 662	0.240
3	उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	655	0.052
4	उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	658/1	0.0627
5	उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	190	0.031
6	उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	189/5	0.102
7	उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	189/4	0.103
8	उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	189/2, 191, 192	0.080
9	उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	191/1	0.072
10	उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	656, 657	0.089
11	उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	2746/6, 2746/7	1.080
12	उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	2690	0.021
13	उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	95, 97, 98/1	0.236

संजीव साहू, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.

राजस्व विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक-एफ-06-47-2022-सात-3

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2022

नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि में के धारकों के धारणाधिकार के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक एफ 06-75/2019/शा.3, दिनांक 24.09.2020 की कंडिका 3.1 (एक) (घ) के संदर्भ में एतद द्वारा राज्य सरकार जिला भोपाल की तहसील हुजूर के नगर शहर भोपाल (ईदगाह हिल्स) की निम्न तालिका अनुसार भूमियों को, जिसमें परिशिष्ट-एक में आवेदित क्षेत्रफल को मय चर्तुसीमा दर्शाया गया है, को अधिसूचित करती है:-

क्रमांक	खसरा नंबर	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
01	16 / 1	204440
02	25 / 1 / 2	2790
03	25 / 2	12140
04	26	164100
05	28 / 1 / 1 / 2	8090
06	27 / 2, 34 / 2, 35 / 2 / 1	3480
07	94	87490
08	96	9030
09	97	15090
10	103	9670
11	105 / 1 / 1	140180

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शुचिस्मिता सक्सेना, उपसचिव.

## परिशिष्ट-01

क्रमांक (1)	खसरा नंबर (2)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (3)	कॉलम नंबर 03 के क्षेत्रफल में से (वर्गमीटर में) (4)	चतुर्सीमा (5)
01	16/1	204440	252.69	उत्तर-प्लॉट नंबर 1/ए, दक्षिण-रास्ता, पूर्व-रास्ता, पश्चिम- प्लॉट नंबर दो विजय लक्ष्मी रात्रा।
02	25/1/2	2790	350.244	उत्तर-रिक्त भूमि मालावार गृह निर्माण सोसायटी, दक्षिण- रिक्त पूर्व-रास्ता पश्चिम- डॉ सलीम का मकान
03	25/2	12140	126.62	उत्तर-शाकिर खान का मकान, दक्षिण-त्रिपाठी जी का मकान, पूर्व-रास्ता, पश्चिम-मंजुला सूद
04	25/2	12140	278.709	उत्तर-प्लॉट नं. 115 परदसानी दक्षिण- प्लॉट नं. 74 पूर्व-रास्ता, पश्चिम- प्लॉट नं. 100 व 101
05	25/2	12140	111.524	उत्तर-श्रीमति परवीन का मकान दक्षिण- असमत सलीम पूर्व-रास्ता पश्चिम- प्लॉट नं. 103 डॉक्टर साहब
06	25/2	12140	223.048	उत्तर- रिक्त भूमि दक्षिण- एस.ए.सफी पूर्व-रास्ता पश्चिम- डॉक्टर साहब का मकान
07	25/2	12140	110.55	उत्तर- झुग्गी बाद रास्ता दक्षिण- रास्ता पूर्व-अमित अरोड़ा का मकान पश्चिम-अशोक कुमार का प्लाट
08	26	164100	209.10	उत्तर-रास्ता, दक्षिण- के.जी.बर्वे का मकान पूर्व-नरेंद्र माथुर का मकान पश्चिम- रास्ता
09	26	164100	296.36	उत्तर-मनोज नागरानी, दक्षिण-रास्ता, पूर्व-बत्रा का मकान, पश्चिम-रास्ता
10	26	164100	428.93	उत्तर- रास्ता दक्षिण- जसवीर सिंह का मकान पूर्व-ख.क. 27 की खुली भूमि

				पश्चिम-आसिफ खान का मकान
11	28/1/1/2	8090	69.68	उत्तर- खान का मकान दक्षिण- रास्ता पूर्व-एच.एच. मालिक पश्चिम-नावेद का मकान
12	27/2, 34/2, 35/2/1	3480	139.40	उत्तर-प्लॉट नं 128, दक्षिण-रास्ता, पूर्व-प्लॉट नं. 179, पश्चिम-प्लॉट नं. 181
13	94	87490	223	उत्तर-मरवाह का मकान, दक्षिण-रास्ता, पूर्व-बिनोद सूद का मकान, पश्चिम-अनिल दंदवानी का मकान
14	94	87490	342.92	उत्तर-राफिया सिद्धकी का मकान दक्षिण- प्लॉट नं. 2 बी व जलाल का मकान पूर्व-रिक्त भूमि, पश्चिम- रास्ता
15	96	9030	116.54	उत्तर- आई.एस. तोमर दक्षिण- रास्ता पूर्व-डॉ.इफितखार पश्चिम-के.सी.आर्य
16	96	9030	235.51	उत्तर- आसिफ सौलत का मकान दक्षिण- मनोहर का मकान पूर्व-रास्ता पश्चिम- जाहिद का मकान
17	96	9030	235.510	उत्तर- मनोहर चावला का मकान दक्षिण- आसिफ सौलत का मकान पूर्व-रास्ता पश्चिम-जाहिद का मकान
18	97	15090	192.30	उत्तर- रास्ता दक्षिण- ज्ञानचंद्र पूर्व-रिक्त भूमि के बाद राना कुरैसी पश्चिम- रास्ता
19	103	9670	185.87	उत्तर-रघुवीर सिंह बिंद्रा दक्षिण-संतोष, पूर्व-रास्ता, पश्चिम-संजय अग्रवाल
20	103	9670	123.70	उत्तर- रास्ता दक्षिण- राजकुमार रामनानी का मकान पूर्व-आर.एस. मालिया का मकान पश्चिम-रास्ता

21	103	9670	238.29	उत्तर-किशनलाल आहूजा का मकान दक्षिण- रूपम अग्रवाल का मकान पूर्व- रधुवीर सिंह का मकान पश्चिम- रास्ता
22	105 / 1 / 1	140180	627.09	उत्तर-टॉनी चटवाल का मकान, दक्षिण- रास्ता पूर्व-गुलाटी का मकान पश्चिम- मनोहर गंगवानी वगैरह का मकान
23	105 / 1 / 1	140180	836.12	उत्तर-रास्ता, दक्षिण- वी.पी. सूरी व राजानी का मकान पूर्व-एम.डी. ग्रोवर का मकान पश्चिम- गोविंद बसंता का मकान
24	105 / 1 / 1	140180	399.48	उत्तर-रास्ता, दक्षिण- प्रकाश फुलवानी का मकान पूर्व-नरेश का मकान पश्चिम- सलोचना पाहुजा का मकान

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शुचिस्मिता सक्सेना, उपसचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, नागदा,  
जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

क्र.-सी-1-2022-613

उज्जैन, दिनांक 26 जुलाई 2022

प्रारूप 'ख'

(नियम-5 का उपनियम (2))

क्रमांक 82/अ-82/2021-22, अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैन में नर्मदा-क्षिप्र बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों को अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) हेतु ग्राम बालोदा फंटा (रूपाखेड़ी) तहसील नागदा जिला उज्जैन म.प्र. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-8 सनावद जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्टर बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव म.प्र. भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्टर भूमि के उपयोक्ता के अधिकारियों का अर्जन अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन 2013) की धारा -3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन एवं केबल डक्ट बिछाये जाने के संबंध में समक्ष प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नागदा जिला उज्जैन म.प्र. को लिखित में अक्षेप भेज सकेगा।

## अनुसूची

क्र.	खातेदार/हितवद्ध व्यक्ति के नाम व. पिता के नाम सहित	सर्वे क्रमांक	गांव का नाम	प्रभावित रकबा (हेक्टर)	भूमि का प्रकार
01	भंवरसिंह पिता रामा आंजना	37/1, 38/1/1	बालोदा फंटा(रूपाखेड़ी)	0.0024 0.0092	सिंचित सिंचित
02	जसवंतसिंह पिता भंवरसिंह	38/1/2	बालोदा फंटा(रूपाखेड़ी)	0.0092	सिंचित
03	नवीन कुमार पिता शैतानमल जैन	38/3/1	बालोदा फंटा(रूपाखेड़ी)	0.006	सिंचित
04	ओमप्रकाश पिता बहादुरसिंह	38/3/3	बालोदा फंटा(रूपाखेड़ी)	0.004	सिंचित
05	जीवनसिंह पिता भंवरसिंह	38/3/7	बालोदा फंटा(रूपाखेड़ी)	0.007	सिंचित
06	शंकरलाल पिता काना	277 280/2	बालोदा फंटा(रूपाखेड़ी)	0.0004 0.0098	सिंचित सिंचित
07	रामचंद्र पिता मोतीराम	278/1/1	बालोदा फंटा(रूपाखेड़ी)	0.0172	सिंचित
08	मांगीलाल पिता कानाजी	279/1	बालोदा फंटा(रूपाखेड़ी)	0.014	सिंचित
09	शासकीय भूमि (रस्ता)	209	बालोदा फंटा(रूपाखेड़ी)	0.01	सिंचित
महायोग				0.0892	

क्र.-री-1-2022-610

## प्रारूप 'ख'

## (नियम-5 का उपनियम (2))

क्रमांक 00/अ-82/2021-22 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैन में नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों को अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) हेतु ग्राम उन्हेल कस्बा तहसील नागदा जिला उज्जैन म.प्र. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-8 सनावद जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्टर बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव म.प्र. भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्टर भूमि के उपयोक्ता के अधिकारियों का अर्जन अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन 2013) की धारा -3 की उपाधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन एवं केबल डक्ट बिछाये जाने के संबंध में समक्ष प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नागदा जिला उज्जैन म.प्र. को लिखित में अक्षेप भेज सकेगा।

## अनुसूची

क्रमांक	खातेदार का नाम व पिता/पति के नाम सहित	सर्वे नंबर	रकबा हेक्टेयर में	आर ओ यु (कसल)	प्रभावित क्षेत्र (पाईप)	सिंचित/असिंचित
1.	सतीशचन्द्र पिता शोभाराम जाति धाकड़ नरवाड़िया	1382	0.6170	0.0750	0.0075	सिंचित
2.	प्रकाश पिता रतनलाल जाति धाकड़ खमोरिया	1360/1 1360/2	0.3690 0.3680	0.1450 0.1350	0.0145 0.0135	सिंचित सिंचित
3.	बरसीलाल गोंपाल पिता रमेशचंद्र जाति धाकड़ नरवाड़िया	1360/4 1385/2	0.3660 0.5850	0.1350 0.1260	0.0135 0.0126	सिंचित सिंचित
4.	हराराम पिता पन्नालाल जाति धाकड़ खमोरिया	1387/2	0.3870	0.0250	0.0025	सिंचित
5.	पुनमचंद पिता पन्नालाल जाति धाकड़ खमोरिया	1370/3/2 1370/4	0.7800 0.6530	0.0780 0.1560	0.0078 0.0156	सिंचित सिंचित
6.	नागुलाल बट्टीलाल नानूराम सिद्धनाथ पिता शोभाराम व लक्ष्मीनारायण पिता पन्नालाल जाति धाकड़ नरवाड़िया	1371	1.1390	0.1850	0.0185	सिंचित
7.	समस्तबाई पिता रतनलाल कैलाशीबाई पिता रतनलाल जाति धाकड़ नरवाड़िया	1385/1 1387/1	0.5850 0.3870	0.0250 0.1470	0.0025 0.0147	सिंचित सिंचित
8.	अशोक राजुबाई पिता रामलाल व दुर्गाबाई बेवा रामलाल जाति धाकड़ ढोढरिया	1399 1392/1/1 1393/1/1 1395/2/2/1	0.1050 0.0800 0.0140 0.4860	0.0650 0.0280 0.0100 0.1420	0.0065 0.0028 0.0010 0.0142	सिंचित सिंचित सिंचित सिंचित
9.	शंकरलाल पिता बद्रीलाल जाति धाकड़ ढोढरिया	1393/4/2 1395/2/2/2	0.0380 0.1090	0.0150 0.0410	0.0015 0.0041	सिंचित सिंचित
10.	रतनलाल पिता नाथा जाति धाकड़ नरवाड़िया	1395/1/2 1368	0.3600 0.2300	0.0640 0.0180	0.0064 0.0018	सिंचित सिंचित
11.	भागुबाई पिता रतनलाल पति ओमप्रकाश जाति धाकड़ नरवाड़िया	1398/1 1389/2/2	0.5120 0.3140	0.1650 0.0690	0.0165 0.0069	सिंचित सिंचित
12.	रमेशचंद्र पिता नागूलाल जाति धाकड़	1507/1	0.3130	0.1850	0.0185	सिंचित
13.	नारायण, ईश्वरलाल पिता रामचन्द्र जाति धाकड़ मण्डावलिया	1507/2	0.0520	0.0370	0.0037	सिंचित

क्रमिक	खतिद्वार का नाम व पिता/पति के नाम सहित	सर्वे नंबर	रकबा हेक्टेयर में	आर ओ यु (फसल)	प्रभावित क्षेत्र (पाईप)	सिंचित/असिंचित
14.	तीजाबाई पति बाबूलाल जाति धाकड नन्हेडा	1510 1511 1512 1513	0.1250 0.1150 0.2510 0.7420	0.0430 0.0460 0.0920 0.0640	0.0043 0.0046 0.0082 0.0064	सिंचित सिंचित सिंचित सिंचित
15.	नन्दराम कलाबाई गीताबाई पिता जगन्नाथ गुलाबबाई बेवा जगन्नाथ जाति धाकड संगीत्रा	1837 1840	0.1050 0.5330	0.0310 0.1400	0.0031 0.0140	सिंचित सिंचित
16	हरिराम रामीबाई सामीबाई केशरबाई पिता शोभासाम जाति धाकड बागथल्या	1839	0.2300	0.0250	0.0025	सिंचित
17	नन्दकिशोर, शातिलाल पिता भेरूलाल जाति धाकड मदारिया	1860/1/1/2	0.1170	0.1040	0.0104	सिंचित
18	श्यामलाल मदारिया पिता रामेश्वर जाति धाकड मदारिया	1861/1	0.0210	0.0210	0.0021	सिंचित
19	रामगोपाल पिता केशुराम जाति धाकड मदारिया	1868/3	0.0630	0.0230	0.0023	सिंचित
20	रामेश्वर पिता शोभासाम जाति धाकड मदारिया	1869	0.1250	0.0230	0.0023	सिंचित
21	मांगुबाई पिता रामेश्वर जाति धाकड मदारिया	1870	0.3460	0.0730	0.0073	सिंचित
22	गोपाल पिता दुर्गालाल जाति धाकड पोपण्डिया	1871/3	0.1200	0.0490	0.0049	सिंचित
23	कचरू पिता शोभासाम जाति धाकड सेकवाडिया	1871/2	0.2400	0.0370	0.0037	सिंचित
24	रामलाल पिता रणछोड जाति धाकड पोपण्डिया	1871/1	0.1200	0.0180	0.0018	सिंचित
25	अर्जुन पिता श्यामलाल जाति धाकड मदारिया	1872	0.3560	0.0550	0.0055	सिंचित
26	रतनलाल पिता भेरा जाति धाकड सलीत्रा	1873	0.2930	0.0550	0.0055	सिंचित
27	भेरूलाल पिता रामलाल जाति धाकड बगड	1874	0.2610	0.0490	0.0049	सिंचित
28	भेरूलाल राजुबाई पिता रामलाल धापूबाई वि रामलाल शातिबाई वि रतनलाल जाति धाकड सलीत्रा	1875	0.2720	0.0550	0.0055	सिंचित
29	रामलाल रतनलाल पिता बददा जाति धाकड	1876 1877	0.2830 0.0840	0.0820 0.0180	0.0082 0.0018	सिंचित सिंचित
30	रतनलाल, रामलाल, सजनबाई, कमलाबाई, रामकुंवरबाई पिता पन्नालाल भेरूलाल जगदीश पिता बद्रीलाल नंदीबाई बेवा बद्रीलाल व ईश्वर दिनेश नंदकिशोर कलाश पिता दुर्गालाल कलाबाई वि दुर्गालाल जाति धाकड एल्या	2021 2022/2 2099 2102	0.0310 0.2090 0.3030 0.1670	0.0030 0.1180 0.0180 0.0370	0.0003 0.0118 0.0018 0.0037	सिंचित सिंचित सिंचित सिंचित

क्रमांक	खातेदार का नाम व पिता/पति के नाम सहित	सर्वे नंबर	रकबा हेक्टेयर में	आर ओ यु (फसल)	प्रभावित क्षेत्र (पाईप)	सिंचित / असिंचित
31	कनीराम पिता रामनारायण, रमेश पिता नागू, बद्धा पिता धन्ना जाति धाकड़ बागथल्या	2022 / 1 2023 / 1	0.2090 0.094	0.1180 0.0050	0.0118 0.0005	सिंचित सिंचित
32	रतनलाल पिता थावरजी जाति धाकड़ मदारिया	2042 2043 2045	0.0840 0.1050 0.3450	0.0490 0.0370 0.1100	0.0049 0.0037 0.0110	सिंचित सिंचित सिंचित
33	मांगु उर्फ मांगीलाल पिता नागू जाति धोबी, इंदरामबाई पति दौलतराम सीमाबाई पति पपीतालाल आदि	2046 / 2 / 2	0.0940	0.0610	0.0061	सिंचित
34	शंकरलाल, बालाराम पिता भेरूलाल जाति धाकड़ बम्बोरिया	2047	0.3550	0.0460	0.0046	सिंचित
34	भेरू, गोपाल, गोविन्द जाति धाकड़ खामोरिया	2051	0.3760	0.0920	0.0092	सिंचित
35	शांतिलाल पिता सिद्धनाथ जाति धाकड़ नन्देडा	2052 / 1	0.2240	0.0730	0.0073	सिंचित
36	भेरूलाल पिता पन्नालाल जाति धाकड़	2061 / 1	0.1050	0.0140	0.0014	सिंचित
37	रमेश पिता काशीराम जाति धोबी	2062 / 1	0.0310	0.0250	0.0025	सिंचित
38	जसोदाबाई बेवा कचरू जाति धोबी	2061 / 2 2062 / 2	0.1050 0.0100	0.0710 0.0100	0.0071 0.0010	सिंचित सिंचित
39	पन्नालाल पिता कचरू जाति धाकड़ खमोरिया	2091 2092 2093 2096 2097	0.5430 0.3660 0.0520 0.4490 0.4910	0.0730 0.0240 0.0070 0.1230 0.1100	0.0073 0.0024 0.0007 0.0123 0.0110	सिंचित सिंचित सिंचित सिंचित सिंचित
40	रमणलाल पिता गुलाबचन्द्र जाति जैन	2237 / 1	1.0760	0.1370	0.0137	सिंचित
41	उज्जवल, निशाबाई, नीताबाई पिता मोतीलाल, चंदाबाई बेवा मोतीलाल जाति जैन	2258 2259 2265 / 1	0.0940 0.2930 0.5230	0.0230 0.0150 0.1370	0.0023 0.0015 0.0137	सिंचित सिंचित सिंचित
42	कमलाबाई विधवा भागचन्द्र व अशय, निशा, पिकी पिता भागचन्द्र, राजुबाई पिता रामचंद्र, कंचनबाई विधवा रामचंद्र, मोतीहंस पिता मूलचंद्र	2268 2269	0.0520 0.0420	0.0330 0.0230	0.0033 0.0023	सिंचित सिंचित

क्रमांक	खातेदार का नाम व पिता/पति के नाम सहित	सर्वे नंबर	रकबा हेक्टेयर में	आर ओ यु. (फसल)	प्रभावित क्षेत्र (पाईप)	सिंचित/असिंचित
43.	कुसुम-जैन पति दिनेश कुमार जैन जाति जैन	2273 / 1 2273 / 3 2276 / 1 2277	0.4180 0.2090 0.1360 0.3760	0.0910 0.0450 0.0620 0.1200	0.0091 0.0045 0.0062 0.0120	सिंचित सिंचित सिंचित सिंचित
44	ताकयाम काजियात जय परवाना औकाफ डिपार्टमेंट व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन	2446 2447 / 2 2448	0.2400 0.8890 0.2190	0.0210 0.3100 0.0250	0.0021 0.0310 0.0025	सिंचित सिंचित सिंचित
45	सत्तार खां पिता मुशीखा इशादखा पिता गुलामरसूल व शफी शाह पिता रसूलशाह जाति मुसलमान	2449 / 1	0.2090	0.0340	0.0034	सिंचित
46	विनिश रोमिक डाली मोनिका पिता बालेश्वर जाति जायसवाल	2450 / 1	0.2090	0.1650	0.0165	सिंचित
	कुल योग	81	23.3840	5.6390	0.5639	

आशुतोष गोस्वामी, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी.